न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

जिला–जोधपुर

पीठासीन अधिकारीः–   सोहनलाल चौधरी, आई.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या –   27 / 2020

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. अमित पुत्र आवड़दान जाति चारण निवासी प्रतापपुरा तहसील जैतारण जिला पाली		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर
2. गिरधारीसिंह पुत्र नारायणसिंह जाति राजपूत निवासी राबडियावास तहसील जैतारण जिला पाली		
3. चैनाराम पुत्र मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी रास तहसील जैतारण जिला पाली		

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः– प्रार्थीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट

अप्रार्थी की ओर से सरकारी पेरोकार

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

निर्णय   दिनांकः– 15/3/2022

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम कालाऊना तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नम्बर 343 रकबा 1.2459 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 347 रकबा 1.0436 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1069 / 351 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1077 / 341 रकबा 0.0566 हैक्टेयर आयी हुयी है। जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज चली आ रही है तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि पर काबिज है। प्रार्थीगण अभी बीस दिन पहले अपनी खातेदारी, कब्जासुदा की भूमि खसरा नम्बर 343 रकबा 1.2459 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 347 रकबा 1.0436 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1069 / 351 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1077 / 341 रकबा 0.0566 हैक्टेयर के चारों ओर काटो की तारबन्दी करने हेतु गया लेकिन मौके पर आस पड़ौस के खातेदारो ने प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में तारबन्दी करने से रोक दिया, जिस पर आस पड़ौस के लोग प्रार्थीगण के साथ लड़ाई झगडा करने पर उतारू हो गये और धमकी दी कि किसी भी सूरत में भूमि का नाप तथा

Sd/-
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

तारबन्दी नही करने देंगे। जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के कार्यालय में जाकर सम्पर्क किया और प्रार्थीगण ने अपनी खातदेरी भूमि खसरा नम्बर 343 रकबा 1.2459 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 347 रकबा 1.0436 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1069/351 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1077/341 रकबा 0.0566 हैक्टेयर का भू पैमाईश करने हेतु का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा ने दिनांक 26.06.2020 को हल्का पटवारी को मौके पर जाकर भूमि का नाप करने का आदेश दिया, जिसकी पालना करते हुए भू अभिलेख निरीक्षक वृत खारिया मीठापुर, पिचियाक तथा हल्का पटवारी कालाऊना ने मौके पर जाकर भूमि खसरा नम्बर 343, 347, 1069/351, 1077/341 का नाप इत्यादि किया गया और अपनी मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 02.07.2020 को तैयार की गयी। विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 343 रकबा 1.2459 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 347 रकबा 1.0436 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1069/351 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1077/341 रकबा 0.0566 हैक्टेयर की मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 02.07.2020 को भू अभिलेख निरीक्षक वृत खारिया मीठापुर, पिचियाक ने दिनांक 03.07.2020 को तहसीलदार बिलाड़ा को प्रतिप्रेषित कर दी गयी। प्रार्थीगण दिनांक 05.07.2020 को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 343 रकबा 1.2459 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 347 रकबा 1.0436 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1069/351 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1077/341 रकबा 0.0566 हैक्टेयर पर तारबन्दी करने हेतु गये लेकिन आस पड़ौस के व्यक्तियों ने फिर भी तारबन्दी करने से रोक दिया, जिस पर प्रार्थीगण ने पडौसियों को कहा कि तहसीलदार बिलाड़ा से नाप आदि करवाकर तारबन्दी की जा रही है, जिस पर आस पड़ौस के लोगो ने प्रार्थी को कहा कि ऐसे आदेश हमने कई देखे है, हमारा तहसीलदार बिलाड़ा कुछ भी नही बिघाड़ सकता है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में तारबन्दी व काश्त कार्य करने का पूरा पूरा हक व अधिकार है, फिर भी आस पड़ौस के व्यक्ति तारबन्दी नही करने दे रहे है, इस कारण प्रार्थीगण को खसरा नम्बर 343 रकबा 1.2459 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 347 रकबा 1.0436 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1069/351 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1077/341 रकबा 0.0566 हैक्टेयर का नाप, (सीमाकन), पत्थरगढी करवाने हेतु का यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ रहा है।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थी की ओर से सरकारी पेरोकार उपस्थित हुए तथा अप्रार्थी ने जवाब को प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली कराया गया। अप्रार्थी ने जवाब में सीमांकन एवं पत्थरगढी किये जाने हेतु सहमति को प्रकट किया है।

उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी वकील प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया और प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया, विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 343 रकबा 1.2459 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 347 रकबा 1.0436 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1069/351 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1077/341 रकबा 0.0566 हैक्टेयर प्रार्थीगण की रेकर्डेड खातेदारी की भूमि है इस कारण मौके पर नाप एवं सीमाकंन, पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम कालाऊना तहसील बिलाड़ा की भूमि खसरा नम्बर 343 रकबा 1.2459 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 347 रकबा 1.0436 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1069/351 रकबा 0.0324 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1077/341 रकबा 0.0566 हैक्टेयर का नाप एवं सीमांकन, पत्थरगढी किये जाने का आदेश तहसीलदार बिलाड़ा को प्रदान किया जाता है। तहसीलदार बिलाड़ा सीमांकन एवं पत्थरगढी किये जाने के समय आवश्यकता अनुसार पुलिस ईमदाद की व्यवस्था प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मोहनलाल चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 15/3/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलाश सुनाया गया।

(मोहनलाल चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा